1309/69-1-18

**महत्वपूर्ण / समयबद्ध**

संख्याः 05 / 18 / 149 / 38–10–18–9 / 18

प्रेषक :

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2018

विषय :– प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रभावी रूप से लागू कराए जाने के संबंध में।

संख्या 11873 प्र०ग्रा०न०वि०/2018

महोदय,

वर्तमान में प्रदेश में संचालित विकास, कल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं, यथा–विभिन्न पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत छूटे हुये पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण कराए जाने का निर्णय शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत लिया गया है।

2– उक्त सर्वेक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया हैं :–

| क्रम सं0 | कार्यक्रम | कार्यदायी विभाग |
|---|---|---|
| 1 | पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण | महिला कल्याण विभाग |
| 2 | वृद्धावस्था / किसान पेंशन | समाज कल्याण |
| 3 | दिव्यांगजन पेंशन | दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग |
| 4 | अन्त्योदय राशन कार्ड | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग |
| 5 | पात्र गृहस्थी राशन कार्ड | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग |
| 6 | मुख्यमंत्री आवास योजना– ग्रामीण | ग्राम्य विकास विभाग |
| 7 | प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी | नगर विकास विभाग |
| 8 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |

3– **सर्वेक्षण कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन :–**

वर्तमान में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत (प्रस्तर–2 के अनुसार) पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य निम्नानुसार कराया जाएगा :–

(1) सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में होगा।

(2) सर्वेक्षण कार्य में एकरूपता हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रश्नावली प्रारूप तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) सर्वेक्षको का चयन और उनकी संख्या का आंकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यथासंभव जनपद में उपलब्ध कार्मिकों से ही सर्वेक्षकों का कार्य कराया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

(4) सर्वेक्षण कार्य जिलाधिकारी के निर्देशन में सभी संबंधित विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारी/नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा।

(5) सर्वेक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में कार्मिकों की तैनाती करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक की तैनाती की जाए।

(6) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए सर्वेक्षण कार्य के अनुश्रवण एवं सहयोग के लिए जनपद स्तरीय एक अधिकारी को नोडल अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

(7) बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जायेगी।

(8) ग्राम सभा की बैठक के एक सप्ताह पूर्व बैठक की तिथि के सम्बन्ध में मुनादी करायी जाय तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्राम वसियों को इसकी जानकारी दी जाय।

(9) ग्राम सभा की बैठक के सम्बंध में पम्पलेट वितरित कर भी ग्राम वासियों को जानकारी दी जाय।

(10) ग्राम पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधियों को बैठक की तिथि समय एवं स्थान की सूचना लिखित रूप से ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाय एवं क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन यदि उपलब्ध हैं, तो उनकी भी यथासम्भव भागीदारी प्राप्त की जाय।

(11) सर्वेक्षण कार्य हेतु सभी ग्राम सभा के खुली बैठक का रोस्टर नियमानुसार जारी किया जाएगा।

(12) बैठक अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ें मजरे/बसावट में सार्वजनिक स्थल पर की जाएगी।

(13) ग्राम सभा की बैठक में जिन योजनाओं के वंचित/अवशेष पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया जाना है, उस योजना के पूर्व से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में लाभ प्राप्त कर रहें लाभार्थियों की सूची–पढ़कर सर्वेक्षणकर्ता द्वारा सुनाई जाएगी।

(14) ग्राम सभा के बैठक में इन योजनाओं के लाभ से वंचित छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के संबंध में जानकारी की जाएगी, जो नाम बैठक में बताए जाएंगे सर्वेक्षणकर्ता कर्मचारी द्वारा रजिस्टर पर दर्ज किये जायेंगे।

(15) जिस योजना के छूटे हुए पात्र लाभार्थी का नाम रजिस्टर पर अंकित किया गया है, उनका सर्वेक्षण कर्मचारी द्वारा उस विभाग के प्रारूप/प्रपत्र पर किया जाएगा।

(16) मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के छूटे लाभार्थियों का सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे प्रारूप/प्रपत्र पर एस0ई0सी0सी0 के अन्तर्गत निर्गत स्वतः सम्मिलित होने के 05 बिन्दु एवं स्वतः बर्हिगमन के 13 बिन्दु पर किया जाएगा।

(17) सर्वे प्रपत्र भरकर, बैठक में नाम नोट किए गये रजिस्टर के साथ, सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अपने न्याय पंचायत स्तर के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(18) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों के प्रपत्र एकत्र कर सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(19) सर्वेक्षण डाटा का संकलन/डाटा फीडिंग का कार्य जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रत्येक योजना से संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के प्रभारी द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में सम्पादित कराया जाएगा।

(20) सर्वेक्षण आंकड़ों का सत्यापन/पुनर्परीक्षण संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारी के माध्यम से विश्लेषणात्मक रूप से कराया जाएगा। सर्वेक्षित आंकड़ों का योजनावार प्रकाशन जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(21) मण्डलायुक्त अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपदों में सर्वेक्षण कार्य का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(22) योजनान्तर्गत सर्वेक्षण के लिए यदि अतिरिक्त धनराशि अपरिहार्य होती है, तो ऐसी स्थिति में यथावश्यक धनराशि योजना से संबंधित विभाग द्वारा समानुपातिक रूप से व्यवस्थित की जाएगी।

4– **सर्वेक्षण कार्य की समय–सीमा :–**

उक्त सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निम्न समय–सारिणी के अनुसार अगस्त, 2018 के प्रथम सप्ताह तक अवश्यमेव पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा :–

| क्रम सं0 | कार्य | समय–सीमा (दिवस) |
|---|---|---|
| 1 | सर्वेक्षक का चयन | 02 |
| 2 | सर्वेक्षक का प्रशिक्षण | 02 |
| 3 | सर्वेक्षण कार्य | 10 |
| 4 | सर्वेक्षण डाटा संकलन/डाटा फीडिंग | 06 |
| 5 | सर्वेक्षण आंकड़ों का सत्यापन/ पुनर्परीक्षण तथा सर्वेक्षित आंकड़ों का प्रकाशन | 05 |
| **योग** | | **25** |

5– **भूमिकाएं और जिम्मेदारियां :–**

वर्तमान में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पात्र एवं छूटे/वंचित लाभार्थियों के सर्वेक्षण संबंधी समस्त कार्यों हेतु जनपद के **जिलाधिकारी नोडल अधिकारी** होंगे। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी तथा ग्राम्य विकास सहित लाभान्वित कराए जाने वाले कार्यक्रमों से संबंधित विभाग यथाः समाज कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन–सूडा (नगर विकास) विभाग के जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रमुख भागीदारी प्रदान की जाएगी।

6– **सर्वेक्षण कार्यों के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण हेतु जिलास्तरीय समिति :–**

सर्वेक्षण कार्य के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद में निम्नानुसार एक समिति गठित की जाएगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | जिलाधिकारी | – | अध्यक्ष। |
| (II) | मुख्य विकास अधिकारी | – | सदस्य सचिव। |
| (III) | जिला विकास अधिकारी | – | सदस्य। |
| (IV) | मुख्य चिकित्साधिकारी | – | सदस्य। |
| (V) | जिला समाज कल्याण अधिकारी | – | सदस्य। |
| (VI) | जिला पूर्ति अधिकारी | – | सदस्य। |
| (VII) | परियोजना निदेशक, डीआरडीए | – | सदस्य। |
| (VIII) | परियोजना अधिकारी, डूडा (नगर विकास विभाग) | – | सदस्य। |
| (IX) | संबंधित जनपदस्तरीय अन्य विभागों के अधिकारी | – | सदस्य। |

**7– राज्य स्तरीय समन्वय समिति–(एस.एल. सी.सी.) :–**

राज्य स्तर पर लक्षित कार्यो की प्रगति समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) का गठन निम्नवत् किया जायेगा–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | मुख्य सचिव | – | अध्यक्ष। |
| (II) | अपर मुख्य सचिव, नियोजन | – | सदस्य। |
| (III) | अपर मुख्य सचिव, वित्त | – | सदस्य। |
| (IV) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव<br>समाज कल्याण विभाग<br>महिला कल्याण विभाग<br>दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग<br>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग<br>नगर विकास विभाग<br>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | – | सदस्य। |
| (V) | प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास | – | सदस्य सचिव। |
| (VI) | आयुक्त,ग्राम्य विकास | – | सदस्य। |
| (VII) | राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी | – | सदस्य। |

**8– वित्तीय व्यवस्था :–**

प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कराए जाने वाले सर्वेक्षण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन जनपद स्तर पर लाभार्थीपरक संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से यथावश्यक व्यवस्थित किया जाएगा तथा यथावश्यकता संबंधित विभागों द्वारा यथासमय बजट आवंटन कराया जाएगा।

9– मण्डलायुक्त अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जनपदों में समयबद्ध व गुणवत्तायुक्त सर्वेक्षण सम्पादित हो, इसको अपने निकट पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के द्वारा सुनिश्चित करायेंगे।

10— जिलाधिकारी, प्रत्येक कार्यक्रम के सर्वेक्षण आंकड़ों को हार्ड एवं साफ्ट कापी में उस विभाग के प्रशासनिक विभाग तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराएंगे।

11— उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

( अनूप चन्द्र पाण्डेय )
मुख्य सचिव।

संख्या : 05 (1)/38—10—18—9/18 तद्दिनांकित ।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर विकास एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
9— संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
11— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14— समस्त परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
15— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनुराग श्रीवास्तव )
प्रमुख सचिव।